कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006
हेल्पलाइन नं0: 1950 और 1800111400
वेबसाइट: www.ceodelhi.gov.in

सार्वजनिक सूचना

सुगम चुनाव

आम जनता को सूचित किया जाता है कि अर्हता तिथि के तौर पर 01.01.2019 के संदर्भ में दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा ।

क्रम संख्या	गतिविधि	तिथि
1.	मतदाता सूचियों का मसौदा प्रकाशन	01.09.2018 (शनिवार)
2.	दावे और आपत्तियां जमा करने की अवधि	01.09.2018 (शनिवार) से 31.10.2018 (बुधवार) तक
3.	दावों और आपत्तियों का निपटान	30.11.2018 (शुक्रवार) तक
4	डेटाबेस अद्यतन और अनुपूरक सूची का मुद्रण	03.01.2019 (बृहस्पतिवार) तक
5.	**मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन**	**04.01.2019 (शुक्रवार)**

युवा समेत सभी पात्र नागरिक जो 01.01.2019 को या उसके पहले 18 साल के होने जो रहे हैं वे 01 सितम्बर, 2018 से 31 अक्टूबर, 2018 के बीच निर्वाचन सूची में अपने नाम शामिल करने का दावा फॉर्म–6 भरकर ऑनलाईन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं । कोई भी व्यक्ति प्रारूप निर्वाचन सूची की असंगतियों पर आपत्ति दर्ज करा सकता है।

सभी मौजूदा मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित स्थानों (Designated locations), एवं मतदाता केन्द्रों, जिनका विवरण मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली की वेबसाइट www.ceodelhi.gov.in पर उपलब्ध है, पर प्रकाशित मसौदा मतदाता सूचियों में अपने विवरण की जांच कर सकते हैं। सभी फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि केवल मतदाता पहचान–पत्र होने पर किसी भी मतदाता को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है, इसके लिए उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। आप अपना नाम www.ceodelhi.gov.in या www.nvsp.in पर उपलब्ध मतदाता सूची सें जांच कर सकते हैं। आप EPIC<space>Voter id No. टाइप कर 7738299899 पर SMS भेजकर भी अपना नाम जांच सकते हैं।

किसी भी मतदाता का नाम एक से अधिक मतदाता सूची में होना दंडनीय अपराध है। इस स्थिति में कृपया अपना नाम हटाने के लिए फार्म संख्या 07 में आवेदन करें।

किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया हैल्पलाइन नं: 1950 या 1800111400 या हमारी वेबसाइट www.ceodelhi.gov.in देखें।

–ह./–
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

फोटो मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

गहन प्रकृति - 2019

कोई मतदाता न छूटे

क्या आप 1 जनवरी 2019 को या उसके पहले 18 साल के हो रहे हैं ?

या

आप 18 साल के हो चुके हैं, फिर भी आप मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं ?

"सुगम चुनाव"

कौन आवेदन कर सकता है

- एक भारतीय नागरिक
- 1 जनवरी 2019 को या उसके पहले 18 साल की आयु हो जाने पर
- मतदान क्षेत्र के साधारण निवासी
- इनमें से किसी एक कारण से अयोग्य न होना जैसे की भारत का नागरिक नहीं है या विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है या निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने से वर्जित किया गया हो।
- फॉर्म आप अपने सम्बन्धित मतदाता पंजीकरण केन्द्र / नामित स्थानों से प्राप्त कर वही पर भर कर दे सकते हैं या डाक द्वारा पंजीकरण केन्द्र पर जमा किये जा सकते है या ऑनलाइन आवेदन भी www.ceodelhi.gov.in पर कर सकते हैं।

जागरूक रहें

- दिल्ली की प्रारूप (Draft) मतदाता सूची www.ceodelhi.gov.in पर तथा सभी नामित स्थानों पर उपलब्ध है।
- मतदाता सूची में अपना नाम देखें
  मतदाता नाम से (http://ceodelhi.gov.in/OnlineErms/electorsearchtest.aspx), (www.nvsp.in) या मतदाता पहचान पत्र संख्या से (http://ceodelhi.gov.in/OnlineErms/electorsearchidcard.aspx) या EPIC<Space>Voter ID Card No. लिखकर 7738299899 पर SMS करें।
- मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है !
- कभी भी एक से ज्यादा स्थान पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज न कराएं। यह एक दंडनीय अपराध है।

दावे तथा आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि	दावों और आपत्तियों का निपटान	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
1 सितंबर 2018 (शनिवार) से 31 अक्टूबर 2018 (बुधवार)	30 नवंबर 2018 से पहले (शुक्रवार)	04 जनवरी 2019 तक (शुक्रवार)

फ़ार्म-6	फ़ार्म - 6A	फ़ार्म - 7	फ़ार्म - 8	फ़ार्म - 8A
नए पंजीकरण के लिए या एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए	भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासी भारतीयों के लिए	निर्वाचक नामावलियों से मौजूदा नाम को कटवाने के लिए या नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति करने के लिए	निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में संशोधन या सुधार करने के लिए।	एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पते में परिवर्तन होने की दशा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

ओल्ड सेंट स्टीफन कॉलेज भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006
हेल्पलाइन नं0–1950 / टोल फ्री नं0–1800111400